भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4660

जिसका उत्तर 22 जुलाई, 2019/31 आषाढ़, 1941 (शक) को दिया गया

भारतीय महिला बैंक

4660. श्री ए. गणेशमूर्ति:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय महिला बैंक (बीएमबी) खोलने के प्रयोजन और उद्देश्य क्या हैं और आज की तारीख के अनुसार विशेषकर तमिलनाडु सहित देश में राज्य-वार कुल कितने बीएमबी कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या बीएमबी खोलने का उद्देश्य पूरा हो रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा बीएमबी के सभी उद्देश्यों को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं/उठाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) से (ग): महिलाओं को वित्तीय सेवाओं की बेहतर पहुंच प्रदान करने के उद्देश्य से भारतीय महिला बैंक (बीएमबी) की स्थापना की गयी थी। बीएमबी द्वारा शाखा विस्तार के लिए प्रतीक्षा किए बिना अधिक तेजी से वहनीय ऋण के माध्यम से व्यापक रूप से महिला ग्राहकों की सेवा करने के इस उद्देश्य को पूरा करने, भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के व्यापक शाखा नेटवर्क और ऋण की कम लागत का लाभ उठाने के उद्देश्य से बीएमबी का एसबीआई के साथ विलय करने का निर्णय लिया गया था। तदनुसार, दिनांक 01.04.2017 की प्रभावी तिथि से बीएमबी का एसबीआई के साथ विलय किया गया था। इस प्रकार अब एसबीआई के माध्यम से बीएमबी खोलने के उद्देश्य को पूरा किया जा रहा है।

(घ): बीएमबी की स्थापना के पीछे निहित उद्देश्य, अर्थात महिलाओं को वित्तीय सेवाओं की बेहतर पहुंच प्रदान करने के उद्देश्य, को पूरा करने के लिए सरकार ने कई अन्य कदम भी उठाए हैं। जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

i. प्रधानमंत्री जन-धन योजना ने पहले से बैंक रहित करोड़ों महिला ग्राहकों को बैंक खाता खोलने में सक्षम बनाया है (दिनांक 10.07.2019 तक इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लगभग 19.23 करोड़ खाते खोले गए) और यह महिला उपयोगकर्ताओं को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के रूप में सरकार से सब्सिडी प्राप्त करने और विप्रेषण, ऋण एवं बीमा उत्पादों तक पहुंचने की अनुमति देती है।

ii. सूक्ष्म वित्त की स्थिति के संबंध में प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, स्वयं सहायता समूह (एसएचजी)-बैंक लिंकेज कार्यक्रम ने 20,473.55 करोड़ रुपए की कुल बचत जमा राशि रखने वाले 85.31 लाख महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से जोड़ा है, जिसमें से 44.61 लाख महिला एसएचजी दिनांक 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार, 79231.98 करोड़ रुपए के बकाया ऋण के साथ ऋण संबद्ध (क्रेडिट लिंक्ड) हैं।

iii. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जिसके अंतर्गत 69.77% ऋण महिला उधारकर्ताओं को प्रदान किए गए हैं, जिसमें दिनांक 31.03.2019 तक महिला उद्यमियों को 12.74 करोड़ ऋण प्रदान किए गए हैं। महिला उधारकर्ताओं की कवरेज को आगे प्रोत्साहित करने के लिए, माइक्रो यूनिट्स डेवलेपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लि. (मुद्रा) अपने पुनर्वित्त ब्याज दर पर 0.25% की छूट प्रदान करती है।

iv. व्यापार, सेवा और विनिर्माण के क्षेत्र में ग्रीनफील्ड उद्यमों की स्थापना के लिए महिला उधारकर्ताओं को 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक के बीच बैंक ऋण को सुकर बनाने के लिए स्टैण्डअप इंडिया योजना है।

v. दिनांक 20.07.2018 की स्थिति के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 'केवल महिलाओं' द्वारा प्रबंधित परिचालनरत शाखाओं की संख्या 661 है।

*****